निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन 1941 (श0)
(सं0 पटना 187) पटना, बुधवार, 4 मार्च 2020

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना
27 फरवरी 2020

सं0 रा०उ०द०(परि०)–07/2012–816/प०व०ज०प०––संप्रति रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के अंतर्गत लंबित अधिसंख्य अधिहरण वादों के त्वरित निष्पादन हेतु माननीय उच्च न्यायाल, पटना द्वारा अनेक आदेश पारित किये गये हैं। इन अधिहरण वादों के निष्पादन में हो रहे विलंब के कारण माननीय उच्च न्यायालय से वन अपराध के मामलों में पारित आदेश से विभाग को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–रा० उ० द० (परि०)– 07/2012–2856 दिनांक–10.09.2012 एवं पत्रांक–रा०उ०द०(परि०)–07/2012–113 दिनांक 14.01.2020 द्वारा राज्यसात के मामले के निष्पादन हेतु दिशा–निर्देश जारी किया गया है। रोहतास जिले में अवैध खनन/परिवहन की गंभी समस्या के फलवस्वरूप वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम को इन कार्रवाईयों में व्यस्त रहने के फलस्वरूप उनके द्वारा अधिहरण वादों के त्वरित निष्पादन में कठिनाई हो रही है।

उक्त आलोक में सम्यक् विचारोपरांत भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989, बिहार अधिनियम–9, 1990) की धारा–52(2) में निहित प्रावधानों के तहत रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के कार्य क्षेत्र के लिए वर्त्तमान में पदस्थापित वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के अतिरिक्त वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ को भी अधिसूचना निर्गत की तिथि से तीन वर्ष के लिए अपने वर्त्तमान कार्यों के साथ–साथ रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के कार्य क्षेत्र के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

2. उक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 187-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in